न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 0063/2020 जिला भीलवाड़ा

1. श्री कैलाश पिता नानूराम कुमावत आयु–37 साल, निवासी तहनाल, तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा(राज0)
2. श्री भैरू पिता गोपाल कुमाव, आयु–27 साल निवासी तहनाल, तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा(राज0)
3. श्री प्रहलाद पिता हजारी बैरवा आयु–42 साल, निवासी तहनाल, तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा(राज0)
4. गोपाल पिता हजारी बैरवा आयु–40 साल, निवासी तहनाल, तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाड़ज्ञं
5. गोरधन पिता बालू कुमावत आयु–42 साल, निवासी–तहनाल, तहसील–शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा(राज0)

–अपीलांटस

बनाम्

1. श्री रामगोपाल पिता छीतरमल जाति ब्राहमण आयु–वयस्क, निवासी शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा(राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, तहसील–शाहपुरा जिला–भीलवाड़ा(राज0)

–रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 10.12.2014 अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा मु0नं0 06/2013 अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित अभिभाषकः–श्री हरदयाल वर्मा(अपीलांट अभि0)
रेस्पोडेंट अभिभाषकः–उपस्थित
राजकीय अभिभाषकः–उपस्थित

निर्णय दिनांकः–06.01.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम तहनाल तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बर 3188 रकबा 1 हे0, 4115/4016 रकबा 1 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 2 हे0 भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन 1970 के तहत रेस्पोडेंट संख्या रामगोपाल के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 30.01.2013 को किया था। उक्त आवंटन के विरूद्ध अपीलांट 1 से 5 के द्वारा ए0डी0एम0 न्यायालय भीलवाड़ा में अपील दर्ज की गयी। अपील नियम 14(4) के तहत दर्ज करवायी गई। जिसे 06/2013 नम्बर दिया गया। जिसे बाद सुनवाई अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.12.2014 में अपीलांटगण की अपील खारिज की गई। रेस्पोडेंट का भूमि आवंटन यथावत रखा गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर के निर्णय से क्षुब्ध होकर निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:57 IST
Reason: SelfAttested

1. रेस्पोडेंट नम्बर 1 कृषक न होकर आवंटित भूमि सार्वजनिक महत्व की भूमि है।
2. भूमि आवंटन योग्य न होने पर भी आवंटित कर दी गई।

3\. रेस्पोडेंट संख्या 1 शाहपुरा रहता है। तहनाल में नहीं रहता है। अपील स्वीकार की जायें। आवंटन निरस्त किया जायें।

एडी0एम न्यायालय भीलवाड़ा निर्णय से रूष्ट होकर तत्समय अपील न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में प्रस्तुत की गई। राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में अपील न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में होने से सुनवाई हेतु प्राप्त हुई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट के अनुसार आवंटित खसरा नम्बर में हमारे द्वारा चारागाह की मांग की गई थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 रिटायर्ड फौजी है। पूर्व मे भी भूमि आवंटन का लाभ लिया है। शाहपुरा में रहता है। वादग्रस्त भूमि से रास्ते गुजर रहे है। पानी लाने हेतु पाईपलाईन लोगो ने डाल रखी है। रेस्पोडेंट 1 कृषि कार्य नहीं करता है। ए0डी0एम0 भीलवाड़ा ने हमारा नियम 14(4) का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। वक्त आवंटन हमने आक्षेप किया था। सार्वजनिक महत्व की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। आरआरडी 1994 पेज 385,386 के न्यायिक दृष्टांत के बारे में बताया। बहस में रेस्पोडेंट के वकील ने बताया कि पहले अलॉटमेंट की पूरी व्याख्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई है। पहले सिर्फ चार बीघा भूमि मेरे पास है। सार्वजनिक भूमि बाबत किसी अधिकारी की रिपोर्ट नहीं है। आवंटन 2013 में किया गया। कैम्प में कही गई किसी भी बात का कोई सबूत नहीं है। फौजी को प्राथमिकता से भूमि आवंटन किया जाता है। अपील खारिज की जायें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.2014 का है तथा अपीलांटगण द्वारा अपील दिनांक 14.01.2015 को तत्समय आरएए भीलवाड़ा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.12.2014 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय के दौरान अपीलांटगण ने यह कहा था कि आवंटन होने के बाद रेस्पोडेंट संख्या 1 अब अपीलांटगण के खेतो तक सिंचाई हेतु पानी की पाइपलाईन नही ले जाने देगा। तब संकट पैदा होगा। अपीलांटगण के द्वारा भविष्य में होने वाली समस्या बाबत आशंका की है। सिंचाई हेतु पाइपलाईन ले जाने हेतु पाइपलाईन डाली जा सकती है। वे उपखण्ड अधिकारी से आरटीए की धारा 251ए के तहत स्वीकृति ले कर इस कार्य को एक्जीक्युट कर सकते है।

कृषि भूमि प्रयोजनार्थ नियम 1970 के नियम 11 में पात्रता और अलॉटमेंट हेतु प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया हुआ है। इसके बिन्दु 5 में एक्स सर्विसमैन को जो सैना में कम से कम 5 वर्ष रहा हो तथा नॉन कमिशन रैंक का हो उसे तथा बिन्दु 7 में बीएसएफ में रहने वाला कम से कम 5 वर्ष की नॉन कमिशन सेवा के रूप कार्य किया हो पर दर्ज किया गया है। अपीलांटगण द्वारा बहस के दौरान यह बताया गया कि भूमि सार्वजनिक महत्व की भूमि है। अतः उसे आवंटन नहीं किया जा सकता है। मगर कृषि भूमि आवंटन नियम 70 के नियम 4 में इस बात का कोई हवाला नहीं है कि पाइपलाईन ले जाने के लिये काम में आने वाली भूमि को आवंटन नहीं किया जा सके। अपीलांटगण को पाइपलाईन ले जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद उन पर सिंचाई हेतु कोई संकट नहीं रहेगा। रेस्पोडेंट संख्या 1 रिटायर्ड फौजी बताया गया है और अपील में बहस के दौरान उनके वकील द्वारा यह बताया गया है कि उनके पास पहले [illegible] चार बीघा भूमि है। ऐसी स्थिति में उन्हें बोनाफाइड कृषक माना जा सकता है। [illegible] आवंटन से पूर्व उनके पास कृषि भूमि थी। बहस में अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त भूमि से रास्ते गुजरने बाबत बिन्दुओं को उठाया है। यदि आवंटित भूमि से होकर अपीलांटगण अपने खेतो में जाते है तो ऐसे रास्तो को भी जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:37 IST
Reason: SelfAttested

किसी काश्तकार के खेत में से होकर गुजर रहे है, उन्हें धारा 251ए टिनैन्सी एक्ट के तहत मुआवजा भुगतान के बाद तहत उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के द्वारा रास्ते के रूप में दर्ज करवा सकते है। अपीलांटगण की आशंकाऐं निराधार है। उनकी आशंकाओ बाबत सम्यक उपचार वर्तमान कानूनों में उपलब्ध है। जिसका उपयोग करके अपनी समस्याओं यथा रास्ता एवं सिंचाई हेतु पाइपलाईन ले जाने हेतु समस्याओं बाबत निराकरण प्राप्त कर सकते है। आवंटन नियमों में इस बात को कोई उल्लेख नहीं है कि ग्राम में कोई भूमि है, उसी ग्राम में रहने वाले को ही भूमि आवंटित की जायेगी। समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेट संख्या 1 को नियमानुसार भूमि आवंटित की गई थी। रेस्पोडेट बोनाफाइड कृषक है। रेस्पोडेंट की आशंकाओं बाबत उपचार वर्तमान कानून में उपलब्ध है। अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

कियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांटगण खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 06/2013 उनवानी कैलाश एवं अन्य बनाम रामगोपाल एवं अन्य अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 निर्णय 10.12.2014 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:37 IST
Reason: SelfAttested